भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2437
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)

क्रय शक्ति पर बढ़ती कीमतों का प्रभाव

2437. श्री के राधाकृष्णन:

क्या ***वित्त*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों में साधारण परिवारों की क्रय शक्ति पर आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, स्थिर वेतन और बढ़ते अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह का ब्यौरा क्या है, साथ ही कुल कर राजस्व में माल और सेवा कर (जीएसटी), आयकर और कॉर्पोरेट कर की हिस्सेदारी कितनी है;

(ग) क्या सरकार का आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों को कम करके और राज्यों को जीएसटी प्रतिकर और हिस्सेदारी को बढ़ाकर जीएसटी संरचना को तर्कसंगत बनाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आय की असमानता को कम करने, सार्वजनिक निवेश को सुदृढ़ करने और जीवन-यापन की बढ़ती लागत का सामना कर रहे मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों को राहत देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (घ) सरकार नियमित रूप से देश में सामान्य मुद्रास्फीति का आकलन करती है एवं साथ ही देश भर में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव की भी निगरानी करती है और विशेष तौर पर निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों की क्रय शक्ति पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न राजकोषीय, प्रशासनिक और अन्य आपूर्ति पक्ष के उपाय करती है। पिछले पांच वर्षों में, खुदरा मुद्रास्फीति 5.5% से घटकर 2% हो गई; और 38 आवश्यक वस्तुओं में मुद्रास्फीति मोटे तौर पर स्थिर रही या अपस्फीति की प्रवृत्ति दिखी है। सितंबर 2025 में, सरकार ने अनेक वस्तुओं और सेवाओं पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) दरों को सरल और तर्कसंगत बनाया और दरों को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत, 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत या 5 प्रतिशत और 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत/शून्य कर दिया। आय असमानता का समाधान सुधारवादी आयकर व्यवस्था, उच्च आय समूहों पर उच्च अधिभार, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा पर अधिक व्यय और आय में सहयोग, कौशल विकास और आजीविका के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लक्षित उपायों के जरिए किया गया है। सार्वजनिक निवेश को मजबूत करने के लिए, सरकार ने स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए और निजी निवेश को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट में उच्च पूंजीगत व्यय को बनाए रखा है जिसे प्रमुख सेक्टरों में उत्पादन से जुड़ी लाभप्रद योजनाओं से जोड़ा गया है जिससे कि घरेलु विनिर्माण को बढ़ावा मिले और दीर्घकालिक उत्पादन क्षमता मजबूत हो। मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों की क्रय शक्ति को संरक्षित करने के लिए, बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तुओं पर जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के अलावा, सरकार ने आयकर से ₹12 लाख (वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए ₹12.75 लाख तक, मानक कटौती के बाद) तक की वार्षिक आय को आयकर से छूट दी है।

(ख) और (ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल कर राजस्व में जीएसटी, आयकर और कॉर्पोरेट कर के हिस्से के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण/वर्ष	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (अ)**
राशि (₹ करोड़)					
प्रत्यक्ष कर	14,12,422	16,63,686	19,60,166	22,26,375	23,40,373
अप्रत्यक्ष कर	12,89,662	13,81,935	14,96,114	15,60,480	16,71,867
सकल कर राजस्व में विभिन्न करों के शेयर (प्रतिशत में)					
जीएसटी	25.84	27.88	27.69	27.12	26.55
आयकर	25.78	27.36	30.23	32.62	30.93
कॉर्पोरेट टैक्स	26.35	27.12	26.36	26.06	27.39

स्रोत: जीएसटी डेटा: - सीबीआईसी; आयकर और कॉर्पोरेट कर: - सीबीडीटी; सकल कर राजस्व: - बजट दस्तावेज।
नोट: (*अ*) अनंतिम डेटा को इंगित करता है।

जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने या आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं पर छूट देने के किसी भी प्रस्ताव के लिए जीएसटी परिषद की सिफारिश की आवश्यकता होती है, जो एक संवैधानिक निकाय है और जिसमें केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अंतिम युक्तिकरण, जिसमें कई बड़े पैमाने पर खपत वाली वस्तुए भी शामिल है, सितंबर 2025 में किया गया था। वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिश के अनुसार साझा करने योग्य करों और शुल्कों का अंतरण इसकी अवधि के दौरान किया जाता है। वर्तमान में, 16वें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 के दौरान 41 प्रतिशत साझा करने योग्य करों और शुल्कों को राज्यों को अंतरण करने का प्रस्ताव है।
